इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

<u>महत्वपूर्ण सहायक कंपनी पर नीति</u>

1. परिचय

इस नीति को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियसम 16(1)(ग) तथा विनियम 24, समय-समय पर यथा संशोधित (जिसे यहां आगे "सूचीकरण विनियम" कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किया गया है।

1. उद्देश्य

यह नीति इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे "कंपनी" या "इरकॉन" कहा जाएगा) सूचीकरण विनियमों के अनुपालन में इरकॉन की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों से संबंधित है।

2. परिभाषाएं

i. **"अधिनियम"** से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम एवं इसमें किसी प्रकार के आशोधन, स्पष्टीकरण, परिपत्र एवं पुन:अधिनियमन से है।

ii. "**लेखापरीक्षा समिति या समिति"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा-177 तथा सूचीकरण करार के विनियम-18 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित समिति से है

1.1 "**बोर्ड"** से तात्पर्य समय-समय पर गठित इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल से है।

iii. "स्वतंत्र निदेशक" से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2(47) तथा सूचीकरण विनियमों के विनियम-16(ख) में परिभाषित अनुसार कंपनी के निदेशक से है।

iv. **"सूचीकरण विनियम"** से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित से है**।**

v. "**महत्वपूर्ण सहायक कंपनी**" से तात्पय सहायक कंपनी से है, जिसकी आय या निवल परिसंपत्ति, तत्काल पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में सूचीबद्ध निकाय और इसकी सहायक कंपनियों की क्रमश: समेकित आय या निवल परिसंपत्ति से 10 प्रतिशत अधिक है।

vi. **"महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनी"** से तात्पर्य असूचीबद्ध महत्वपूण्र सहायक कंपनी से है।

vii. **"सहायक कंपनी"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2(87) में परिभाषित सहायक कंपनी से है।

viii. "**असूचीबद्ध सहायक कंपनी**" से तात्पर्य उस सहायक कंपनी से है जिनकी प्रतिभूतियां किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं हैं।

इस नीति में प्रयुक्त कोई अन्य शब्द (शब्दों), जिसे यहां परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो किसी सांविधि सहित अधिनियम में, उनमें आशोधन या पुन:अधिनियमन या उनके अंतर्गत निर्मित नियमों, सूचीकरण अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों या किसी अन्य संगत कानून में परिभाषित अनुसार होगा।

3. महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए नीति - मापदंड

उस सहायक कंपनी के महत्वपूर्ण सहायक कंपनी माना जाएगा जिसकी आय या निवल परिसंपत्ति तत्काल पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में इरकॉन तथा उसकी सहायक कंपनियों के क्रमश: समेकित आय या निवल परिसंपत्ति के दस प्रतिशत से अधिक होगी।

4. कंपनी की सहायक कंपनी के संबंध में निगमिम शासान की अपेक्षाएं

1. इरकॉन के बोर्ड का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के बोर्ड में निदेशक के पद पर होगा, चाहे वह कंपनी भारत में निगमित हुई हो या नहीं।

   स्पष्टीकरण: "महत्वपूर्ण सहायक कंपनी" के प्रयोजन हेतु सहायक कंपनी का अर्थ उस सहायक कंपनी से है, जिसकी आय या निवल परिसंपत्ति तत्काल पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में इरकॉन तथा उसकी सहायक कंपनियों के क्रमश: समेकित आय या निवल परिसंपत्ति के बीस प्रतिशत से अधिक होगी।

2. कंपनी की लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों सहित असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा तैयार वित्तीय विवरणों और निवेशों की समीक्षा भी करेगी।

3. असूचीबद्ध सहायक कंपनी की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्ति, नियमित अंतराल पर कंपनी की बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे।

4. असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों और व्यवस्थाओं का विवरण आवधिक आधार पर इरकॉन के निदेशक मंडल के नोटिस में लाया जाएगा।

   स्पष्टीकरण - "महत्वपूर्ण संव्यवहार और व्यवस्था" से तात्पर्य ऐसे व्यक्तिगत संव्यवहार या व्यवस्था से है तत्काल पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के लिए असूचीबद्ध

सहायक कंपनी के कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल परिसंपत्तियों या कुल देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक होगा या होने की संभावना है।

5. इरकॉन महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों में शेयरों का निपटान नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शेयरधारिता 50 प्रतिशत शेयरधारिता से कम हो जाए (स्वयं द्वारा या अन्य सहायक कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से) या अपनी साधारण बैठक में विशेष संकल्प पारित किए बिना उस सहायक कंपनी में अपना नियंत्रण समाप्त कर दे, ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां ऐसा डाइवेस्टमेंट को न्यायालय/अधिकरण द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत समाधान योजना के अंतर्गत या दिवाला कोड की धारा-31 के अंतर्गत विधिवत रूप से स्वीकृत समाधान योजना में स्वीकार किया गया हो और ऐसी घटना का प्रकटन समाधान योजना को स्वीकृत किये जाने के एक दिन के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाएगा।

6. वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर इरकॉन की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक की राशि की परिसंपत्तियों की बिक्री, निपटान या पट्टाकरण के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है, जबतक कि न्यायालय/अधिकरण द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत व्यवस्था की योजना के अंतर्गत या दिवाला कोड की धारा-31 के अंतर्गत विधिवत रूप से स्वीकृत समाधान बिक्री/निपटान/पट्टा किया गया है और और ऐसी घटना का प्रकटन समाधान योजना को स्वीकृत किये जाने के एक दिन के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाएगा।

7. भारत में निगमित असूचीबद्ध सहायक कंपनियां सचिवीय संपरीक्षा करेंगी और वर्तमान कंपनी सचिव द्वारा प्रस्तुत सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को उनकी वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किया जाएगा।

5. प्रकटन

इस नीति की प्रति कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाएगा और इसके वेबलिंक को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया जाएगा।

8 संशोधन

निदेशक मंडल अधिनियम या सांविधि की अपेक्षा के अनुसार समय-समय पर इस नीति की, समग्र रूप से या अंश रूप में समीक्षा या संशोधन कर सकता है।

तथापि, सूचीकरण विनियमों या किसी सांविधिक अधिनियमन के अनुपालन की अपेक्षा के अनुसार नीति में कोई संशोधन करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शक्तिप्रदत्त है।

6. सामान्य

इस नीति में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी किसी नियम/विनियम, चाहे मौजूदा नियम हो या ऐसे नियम/विनियम में कोई संशोधन हो या अन्यथा समय-समय पर कंपनी पर लागू नियमों के अंतर्गत निर्धारित अनुसार किसी अतिरिक्त अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

इस नीति के प्रावधानों और अधिनियम या सूचीकरण विनियमों या किसी अन्य सांविधिक अधिनियमनों, नियमों, ऐसे अधिनियम या सूचीकरण करार या सांविधिक अधिनियमनों, नियमों के प्रावधानों के बीच किसी टकराव की स्थिति में इस नीति के ऊपर नियम विद्यमान रहेंगे। इस संबंध में सूचीकरण विनियमों, अधिनियम तथा/या लागू कानूनों में किसी अनुवर्ती संशोधन/आशोधन की स्थिति में, वे स्वत: ही इस नीति पर लागू होंगे।

****